न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

वाद सं० एम० 126 / 2021 — प्रथम पक्ष– आझू उराँव.................. वगैरह ।

बनाम

धारा 107 द० प्र० सं० — द्वितीय पक्ष– सुमन साहु ।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1	2	3
1 26/8/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 02 / 2022 दिनांक 04 / 01 / 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) आझू उराँव उम्र 65 वर्ष पिता स्व0 फेकू उराँव (2) विजय एक्का उम्र 28 वर्ष पिता–आझू उराँव दोनों ग्राम ड़हुडांड खुंटी टोली **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) सुमन साहु उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 मेंघनाथ साहु पता ग्राम बिंलिगबिरा रोड पालकोट थाना– पालकोट जिला गुमला के बीच खाता सं0 612, 300 प्लॉट सं0 4267, 4269 रकबा 0.07, 0.61 एकड़ भूमि को लेकर आपसी विवाद होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद की कारर्दवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट से अप्राप्त है। वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित। (मुहर: अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)) अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)	

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2022.09.02 14:01:48 +05:30
Location: 192.168.36.239